

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 06/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि.....(अ).- अभिहित प्राधिकारी, ब्राजील, चीन जनवादी गणराज्य और जर्मनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत देश कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 7228 10 10 या 7228 10 90 के अंतर्गत "नॉन कोबाल्ट श्रेणी का हाईस्पीड स्टील" (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत माल कहा गया है) के आयात के मामले में जो आता है, अधिसूचना सं. 6/23/2018-डीजीटीआर तारीख 1 अगस्त, 2019 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 तारीख 1 अगस्त, 2019 में प्रकाशित की गई थी, ने अपने अंतिम निष्कर्ष में विषयगत देश से मूलतः उत्पादित या निर्यातित विषयगत माल के आयात पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क को अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 38/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 25 सितंबर, 2019 द्वारा विषयगत माल पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क अधिरोपित किया था जो संख्यांक सा.का.नि. 691(अ) तारीख 25 सितंबर, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी, वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और नियम 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा जो 2 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा, अर्थात्:-

"परंतु उक्त प्रतिपाटित शुल्क 2 फरवरी, 2021 से प्रारंभ होने वाली अवधि से 30 सितंबर, 2021 तक उदगृहीत नहीं किया जाएगा।"

[फा. सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. 38/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 25 सितंबर, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 691(अ), तारीख 25 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।